(वाद संख्या–4525/15)

03.07.2020

परिवादी, धर्मचन्द साह, उपस्थित हैं।

परिवादी को सुना तथा आरक्षी अधीक्षक, पूर्णियां के प्रतिवेदन सहित संचिका पर उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया।

प्रसंगाधीन मामले से संबंधित तथ्य निम्नलिखित है :–

परिवादी, धर्मचन्द साह, का अपने पड़ोसी, रतन कुमार साह, के साथ भूमि विवाद है। उक्त भूमि विवाद के आलोक में दिनांक–25.07.2015 को घटित घटना के आधार पर रतन कुमार साह के द्वारा दिये गये फर्द बयान के आधार पर परिवादी सहित अन्य ग्यारह नामांकित अभियुक्तों के विरूद्ध भा0द0स0 की धाराओं 147/ 148/ 149/ 341/ 323/ 307/ 379/ 384/ 385/ 504/ 506 तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत बनमखी थाना कांड संख्या 233/15, दिनांक–25.07.2015 संस्थित किया गया। प्रसंगाधीन कांड के अन्वेषण तथा तत्कालीन अनु0 पुलिस पदाधिकारी, बनमखी के पर्यवेक्षणानुसार उभय पक्ष के बीच भूमि विवाद तथा साक्षियों के परस्पर विरोधाभाषी बयानों के आधार पर **साक्ष्य की कमी** बताकर प्रसंगाधीन कांड में अंतिम प्रपत्र समर्पित करने से संबंधित प्रतिवेदन तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, पूर्णियां को समर्पित किया गया। तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया द्वारा पूर्व में आयोग को यह सूचना दी गयी कि उनके द्वारा अनु0 पुलिस पदाधिकारी, बनमखी के प्रतिवेदन से सहमति व्यक्त करते हुए उक्त प्रतिवेदन को अनुमोदित करने की पुलिस उप–महानिरीक्षक, पूर्णिया क्षेत्र पूर्णिया से अनुशंसा की गयी। बाद में पुलिस अधीक्षक, पूर्णियां द्वारा आयोग को सूचित किया गया कि पुलिस उप–महानिरीक्षक, पूर्णियां क्षेत्र, पूर्णिया द्वारा स्वयं प्रसंगाधीन कांड की समीक्षा की गयी जिसमें कांड के प्रथम सूचक, रतन कुमार साह तथा तीन साक्षियों, दुःखा दास, पप्पु मंडल, व शिव शंकर साह, ने परिवादी व उनके साक्षियों द्वारा प्रथम सूचक रतन कुमार साह के अपने जमीन पर झोपड़ी बनाने के प्रतिशोधस्वरूप उनके साथ गाली–गलौज किये जाने और लात मुक्का, लप्पड़–थप्पड़ व लाठी–डंडा से मारपीट किये जाने, जमीन पर पटकने तथा उससे एक लाख रुपये की रंगदारी की मांग करने से सम्बन्धित तथ्य को सत्य पाया गया। उपरोक्त तीनों साक्षियों के साक्ष्यों पर पुलिस उप–महानिरीक्षक, पूर्णिया क्षेत्र, पूर्णिया द्वारा परिवादी सहित कुल तेरह अभियुक्तों के विरूद्ध प्रसंगाधीन कांड में उनकी संलिप्तता को भा0द0स0 की धाराओं, 147/ 148/ 149/ 341/ 323/ 327/ 385/ 504 के अन्तर्गत सत्य

पाकर उनके विरूद्ध आरोप पत्र समर्पित किया गया है। मामला वर्त्तमान में न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है।

अब, जबकि प्रसंगाधीन मामला न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है तो ऐसी परिस्थिति में आयोग के स्तर पर प्रसंगाधीन मामले में आयोग के स्तर पर प्रसंगाधीन मामले में कोई आदेश/निर्देश दिया जाना उचित नहीं होगा। परिवादी को यह सलाह दी जाती है कि प्रसंगाधीन कांड के मिथ्या होने से सम्बन्धित अपने दावे के संबंध में वह न्यायालय में विधिनुसार याचिका दाखिल कर अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं।

उपरोक्त के आलोक में आयोग के स्तर से प्रसंगाधीन मामले को बंद किया जाता है।

तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

ह0/–

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
कार्यकारी अध्यक्ष

सहायक निबंधक